बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–03/स्था0(शक्ति)–03/2018– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक–

समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–3706/रा0, दिनांक–09.11.2026 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गया का पद रिक्त होने के कारण श्री परितोष कुमार, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, गया को बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गया का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में, बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गया के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक श्री परितोष कुमार, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, गया को अपने कार्यों के अतिरिक्त बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गया के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह0/–
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/ /स्था0(शक्ति)–03/2018– (3)/रा. पटना–15, दिनांक–

ई–मेल

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/समाहर्त्ता, गया/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/ /स्था0(शक्ति)–03/2018– (3)/रा. पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/ /स्था0(शक्ति)–03/2018– 1748 (3)/रा. पटना–15, दिनांक–13/11/26

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

13.11.26
(अकबर अली),
सरकार के अवर सचिव।